जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 177वीं बैठक दिनांक 14.05.2013 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1	177.1	कार्यकारी समिति की 176वीं बैठक दिनांक 16.04.13 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 176 वीं बैठक दिनांक 16.04.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2	177.2	कार्यकारी समिति की 176वीं बैठक दिनांक 16.04.13 के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 176 वीं बैठक दिनांक 16.04.213 के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3	177.3	प्राधिकरण सेवा के अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहें है, को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता भुगतान करने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ–6 (1) एफडी(रूल्स)/ 2008 दिनांक 23.10.2012 कि पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण सेवा के अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनको राज. सिविल सर्विसेज (रिवाईज्ड पे स्केल्स) रूल्स 1998 के तहत दिनांक 01.07.2012 से 139 प्रतिशत के स्थान पर 151 प्रतितशत महंगाई भत्ते के नकद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
4	177.4	निजी सहायक के पदों को वरिष्ठ निजी सचिव के 01 पद एवं निजी सचिव के 05 पदों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण में निजी सहायक के स्वीकृत 19 पदो में से रिक्त 09 पदों को कम करते हुये इन 09 पदों में से 01 पद वरिष्ठ निजी सचिव एवं 05 पद निजी सचिव के पदों में क्रमोन्नत करने एवं शेष बचे निजी सहायक के 03 पदों को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया ताकि योग्य कार्मिकों को पदोन्नती के अवसर प्राप्त हो सकें। इस निर्णय का अनुमोदन राप्सर एक्ट के तहत राज्य सरकार से भी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
5	177.5	Agenda note for proposal of sanction of Hire charges for P&G of temporary lighting work under EX.EN. (Elect-1)	अस्थाई रोशनी व्यवस्था एवं डेकोरेटिव लाईटिंग का कार्य जविप्रा में विभिन्न आयोजनो, त्यौहारों, उद्घाटनों एवं विभिन्न दिवसों पर कार्य करने के लिए निविदा रू. 30.00 लाख की रेट कॉन्ट्रेक्ट (वार्षिक) की जारी की गई परन्तु टेण्डर बी.एस.आर. प्रीमियम दर कम आने से कार्य मात्र रूपये 3.00 लाख का रह गया परन्तु नॉन बी.एस.आर. की दर अलग थी, कार्य दिनांक 03.02.12 से 02.02.13 तक करवाना था। अतिआवश्यक कार्यों, उद्घाटनों, त्यौंहारों में कार्य करवाने पर कुल लागत का कार्य रूपये 3.09 लाख से बढ़कर रूपये 24.67 लाख का हो गया, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति में रखा गया। विचारविमर्श पश्चात कार्यादेश रूपये 3.09 लाख से रूपये 24.67 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Executive Engineer(Elect-I)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

6	177.6	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना अनुपम विहार के भूखण्ड संख्या ए–70, ए–104, ए–107, ए–278, ए–353, बी–110, बी–120, बी–149, बी–476, सी–75, सी–174, सी–475, सी–485 एवं ए–157 की नजराना राशि निर्धारित समयावधि पश्चात दिनांक 31.03.2013 से पूर्व जमा करवा दी गई जिसमें 365 दिन से अधिक परन्तु 730 दिवस अवधि में विलम्ब से जमा होने के कारण भूखण्डों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	अनुपम विहार आवासीय योजना में भू.सं. ए–70, ए–104, ए–107, ए–278, ए–353, बी–110, बी–120, बी–149, बी–476, सी–75, सी–174, सी–475, सी–485 (कुल 13 भूखण्डों) की नजराना राशि दिनांक 31.03.2013 से पूर्व जमा करवा दी गई परन्तु निर्धारित समयावधि पश्चात 12 माह से 24 माह के अन्दर विलम्ब से जमा होने के कारण विचार विमर्श पश्चात भूखण्डों के नियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे। एजेण्डा के क्रम संख्या 14 पर अंकित भूखण्ड संख्या ए–157 का आवंटन पत्र दिनांक 04.02.2011 को जारी किया गया। परन्तु आवंटी द्वारा आवंटन पत्र जारी होने के बाद अभी तक भी नजराना राशि जमा नहीं कराई गई है। जिन भूखण्डों में नजराना राशि 2 वर्ष तक जमा नहीं कराई जाती है उनके नियमितीकरण सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार सक्षम हैं। अतः 24 माह से अधिक विलम्ब हो जाने के कारण भूखण्ड को नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भू–निष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जाने वाली ब्याज एवं शास्ती की जानकारी भी प्रेषित की जावे। बैठक में जोन उपायुक्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि अनुपम विहार योजना दिनांक 15.09.2008 को प्रारम्भ की गई जिसमें सफल आवेदकों की लॉटरी दिनांक 24.10.2010 को निकाली गई। आबंटन पत्र जारी करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि योजना के लिए भूमि आवाप्ति पश्चात भूमि का भौतिक कब्जा देरी से मिलने के कारण योजना के सुनियोजित विकास हेतु डिर्माकेशन में देरी हुई। योजना के ब्लॉक ए,बी,सी का डिमार्केशन लगभग छः माह पूर्व ही किया गया है। डिमार्केशन के अभाव में आवंटियों को भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं सम्भलाया जा सकता था। उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह भी नीतिगत निर्णय लिया गया कि भविष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी आवासीय योजना में आवेदन पत्र आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अवाप्ति की कार्यवाही के पश्चात योजना की सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, तथा उसमें डिमार्केशन का कार्य पूर्ण हो गया है।	उपायुक्त जोन–11
7	177.7	अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए–95 में मूल राशि ब्याज व पेनल्टी सहित लिये जाने की स्वीकृति बाबत।	अनुपम विहार आवासीय योजना में भू.सं. ए–95 का आवंटन पत्र जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डी–4415 दिनांक 28.07.2011 के द्वारा जारी किया गया था परन्तु आवंटी द्वारा आवंटन पत्र जारी होने के बाद अभी तक भी नजराना राशि जमा नहीं कराई गई है। विलम्ब अवधि लगभग 642 दिवस होने के कारण विचार विमर्श पश्चात नियमानुसार ब्याज एवं पैनल्टी लिये जाकर भूखण्ड नियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे एवं नियमन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे। बैठक में जोन उपायुक्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि अनुपम विहार योजना दिनांक 15.09.2008 को प्रारम्भ की गई जिसमें सफल आवेदकों की लॉटरी दिनांक 24.10.2010 को निकाली गई। आबंटन पत्र जारी करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि	उपायुक्त जोन–11

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			योजना के लिए भूमि आवाप्ति पश्चात भूमि का भौतिक कब्जा देरी से मिलने के कारण योजना के सुनियोजित विकास हेतु डिर्माकेशन में देरी हुई। योजना के ब्लॉक ए,बी,सी का डिमार्केशन लगभग छः माह पूर्व ही किया गया है। डिमार्केशन के अभाव में आवंटियों को भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं सम्भलाया जा सकता था। उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह भी नीतिगत निर्णय लिया गया कि भविष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी आवासीय योजना में आवेदन पत्र आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अवाप्ति की कार्यवाही के पश्चात योजना की सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, तथा उसमें डिमार्केशन का कार्य पूर्ण हो गया है।	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)				
8	177.8	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना अनुपम विहार के भूखण्ड संख्या ए–60 की नजराना राशि निर्धारित समयावधि पश्चात दिनांक 31.03.2013 से पूर्व जमा करवा दी गई जिसमें 541 दिवस विलम्ब से जमा होने के कारण भूखण्ड के नियगितिकरण हेतु।	अनुपम विहार आवासीय योजना में भू.सं. ए–60 की नजराना राशि दिनांक 31.03.2013 से पूर्व जमा करा दी गई है परन्तु नजराना निर्धारित समयावधि से 516 दिवस विलम्ब से राशि जमा कराये जाने के कारण भूखण्ड नियमानुसार ब्याज एवं पेनल्टी लेकर नियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे। बैठक में जोन उपायुक्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि अनुपम विहार योजना दिनांक 15.09.2008 को प्रारम्भ की गई जिसमें सफल आवेदकों की लॉटरी दिनांक 24.10.2010 को निकाली गई। आबंटन पत्र जारी करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि योजना के लिए भूमि आवाप्ति पश्चात भूमि का भौतिक कब्जा देरी से मिलने के कारण योजना के सुनियोजित विकास हेतु डिर्माकेशन में देरी हुई। योजना के ब्लॉक ए,बी,सी का डिमार्केशन लगभग छः माह पूर्व ही किया गया है। डिमार्केशन के अभाव में आवंटियों को भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं सम्भलाया जा सकता था। उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह भी नीतिगत निर्णय लिया गया कि भविष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी आवासीय योजना में आवेदन पत्र आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अवाप्ति की कार्यवाही के पश्चात योजना की सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, तथा उसमें डिमार्केशन का कार्य पूर्ण हो गया है।	उपायुक्त जोन–11
9	177.9	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना अनुपम विहार के भूखण्ड संख्या बी–347 की नजराना राशि निर्धारित समयावधि पश्चात दिनांक 31.03.2013 से पूर्व जमा करवा दी गई जिसमें 741 दिवस विलम्ब से जमा होने के कारण भूखण्ड के नियमितिकरण हेतु।	अनुपम विहार आवासीय योजना में भू.सं. बी–347 की नजराना राशि दिनांक 31.03.2013 से पूर्व जमा करा दी गई है परन्तु नजराना राशि निर्धारित समयावधि से 741 दिवस विलम्ब से राशि जमा करवाई गई है। जिन भूखण्डों में नजराना राशि 2 वर्ष तक जमा नहीं कराई जाती है उनके नियमितीकरण सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार सक्षम हैं। अतः 24 माह से अधिक विलम्ब हो जाने के कारण भूखण्ड को नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु भिजवाते समय पत्र में वर्तमान आरक्षित दर तथा उनसे भू–निष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जाने वाली ब्याज एवं शास्ती की जानकारी भी प्रेषित कि जावे। बैठक में जोन उपायुक्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि अनुपम विहार योजना	उपायुक्त जोन–11

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			दिनांक 15.09.2008 को प्रारम्भ की गई जिसमें सफल आवेदकों की लॉटरी दिनांक 24.10.2010 को निकाली गई। आबंटन पत्र जारी करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि योजना के लिए भूमि आवाप्ति पश्चात भूमि का भौतिक कब्जा देरी से मिलने के कारण योजना के सुनियोजित विकास हेतु डिमार्केशन में देरी हुई। योजना के ब्लॉक ए,बी,सी का डिमार्केशन लगभग छः माह पूर्व ही किया गया है। डिमार्केशन के अभाव में आवंटियों को भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं सम्भलाया जा सकता था। उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह भी नीतिगत निर्णय लिया गया कि भविष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी आवासीय योजना में आवेदन पत्र आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अवाप्ति की कार्यवाही के पश्चात योजना की सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, तथा उसमें डिमार्केशन का कार्य पूर्ण हो गया है।	
10	177.10	Agenda Regarding approval of tender for the "package-II, Remaining work of Relocation of 14 slums on three relocation sites at jaisinghpura khor on Delhi Road, Jaipur Block A : 1056 Units, Block B:924 Units & Block C:912 Units Total 2892 Units"	अधिशाषी अभियन्ता (पीडीसी–II) द्वारा समस्त तथ्यों के साथ एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। J.N.N.U.R.M. के तहत B.S.U.P. परियोजना की मिशन अवधि मार्च 2014 तक होने तथा शेष कार्य प्रारम्भ करने में और अधिक विलम्ब को देखते हुये एवं पूर्व में कार्यरत ठेकेदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्टे प्राप्त करने की सम्भावना की दृष्टि से कार्य "Remaining work of Relocation of 14 slums at Three relocation sites at Jaisinghpura Khor, Delhi Road, Jaipur" की प्राप्त निविदा के न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बी.एल. मेहता कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. की दर (34.85% Above) कुल राशि रू. 97,08,63,633.00 का अनुमोदन कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याश में आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विचार विमर्श पश्चात उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदादाता मैसर्स बी.एल. मेहता कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. की दर (34.85% Above) कुल राशि रू. 97,08,63,633.00 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Excutive Engineer (PDC-II)
11.	177.11	प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को तथा प्राधिकरण में पे–माईनस पेंशन पर कार्यरत सेवानिवृत कर्मचारियों को महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 25.04.2013 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत।	विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–6(1) एफ.डी. (रूल्स) 2008 दिनांक 19.04.2013 के द्वारा राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आदेश क्रमांक एफ–14(14) एफ.डी.(रूल्स) 2006 दिनांक 19.04.2013 के द्वारा राज्य सरकार के वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं आदेश क्रमांक एफ–12(4) एफ.डी.(रूल्स) 2008 दिनांक 01.01.2013 के अनुसरण में प्राधिकरण सेवा के नियमित/वर्कचार्ज एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2013 से पूर्व में जारी आदेश दिनांक 16.04.2013 के द्वारा देय महंगाई भत्ते की दर को 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत किये जाने एवं प्राधिकरण सेवा के नियमित एवं पे–माईनस पेन्शन पर कार्यरत कर्मचारियों को बढ़े हुये महंगाई भत्ते का दिनांक 01.01.2013 से नकद भुगतान तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को 01.01.2013 से 30.04.213 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की बकाया राशि उनके जीपीएफ खाते में जमा करने तथा 01.05.2013 से नकद भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु जारी आदेश क्रमांक प. 4(9) जविप्रा/संस्था/83 दिनांक 25.04.2013 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
12.	177.12	श्री योगेन्द्र प्रसाद भारद्वाज, सहायक अभियंता	विचार विमर्श पश्चात श्री योगेन्द्र प्रसाद भारद्वाज, सहायक अभियन्ता द्वारा उनकी	अति. आयुक्त (प्रशासन)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		द्वारा अपनी पत्नी का प्राधिकरण के गैर अनुमोदित अस्पताल में कराये गये ईलाज पर व्यय हुई राशि रूपये 20,54,657 के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	पत्नि श्रीमती पूनम भारद्वाज का ईलाज जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के गैर अनुमोदित अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली में विशेष परिस्थितिवश कराये जाने के फलस्वरूप ईलाज में व्यय हुई राशि रूपये 20,54,657 में से नियमानुसार पात्रता अनुरूप पुनर्भरण राशि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर पुनर्भरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
13.	177.13	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना अनुपम विहार के भूखण्ड संख्या सी–231 की नजराना राशि निर्धारित समयावधि पश्चात दिनांक 31.03.2013 से पूर्व जमा करवा दी गई जिसमें 516 दिवस विलम्ब से जमा होने के कारण भूखण्ड के नियमितिकरण हेतु।	अनुपम विहार आवासीय योजना में भू.सं. सी–231 की नजराना राशि दिनांक 31.03.2013 से पूर्व जमा करा दी गई है परन्तु नजराना निर्धारित समयावधि पश्चात 516 दिवस विलम्ब से राशि जमा कराये जाने के कारण भूखण्ड नियमानुसार ब्याज एवं पेनल्टी लेकर नियमित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे एवं नियमन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे। बैठक में जोन उपायुक्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि अनुपम विहार योजना दिनांक 15.09.2008 को प्रारम्भ की गई जिसमें सफल आवेदकों की लॉटरी दिनांक 24.10.2010 को निकाली गई। आबंटन पत्र जारी करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि योजना के लिए भूमि आवाप्ति पश्चात भूमि का भौतिक कब्जा देरी से मिलने के कारण योजना के सुनियोजित विकास हेतु डिर्माकेशन में देरी हुई। योजना के ब्लॉक ए,बी,सी का डिमार्केशन लगभग छः माह पूर्व ही किया गया है। डिमार्केशन के अभाव में आवंटियों को भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं सम्भलाया जा सकता था। उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह भी नीतिगत निर्णय लिया गया कि भविष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी आवासीय योजना में आवेदन पत्र आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अवाप्ति की कार्यवाही के पश्चात योजना की सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, तथा उसमें डिमार्केशन का कार्य पूर्ण हो गया है।	उपायुक्त जोन–11
14.	177.14	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना अनुपम विहार के भूखण्ड संख्या सी–153 की नजराना राशि निर्धारित समयावधि पश्चात दिनांक 31.03.2013 से पूर्व जमा करवा दी गई जिसमें 657 दिवस विलम्ब से जमा होने के कारण भूखण्ड के नियमितिकरण हेतु।	अनुपम विहार आवासीय योजना में भू.सं. सी–153 की नजराना राशि दिनांक 31.03.2013 से पूर्व जमा करा दी गई है परन्तु नजराना राशि निर्धारित समयावधि से 657 दिवस विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण भूखण्ड नियमानुसार ब्याज एवं पेनल्टी लेकर नियमित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे एवं नियमन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे। बैठक में जोन उपायुक्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि अनुपम विहार योजना दिनांक 15.09.2008 को प्रारम्भ की गई जिसमें सफल आवेदकों की लॉटरी दिनांक 24.10.2010 को निकाली गई। आबंटन पत्र जारी करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि योजना के लिए भूमि आवाप्ति पश्चात भूमि का भौतिक कब्जा देरी से मिलने के कारण योजना के सुनियोजित विकास हेतु डिर्माकेशन में देरी हुई। योजना के ब्लॉक ए,बी,सी का डिमार्केशन लगभग छः माह पूर्व ही किया गया है। डिमार्केशन के अभाव में आवंटियों को भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं सम्भलाया जा सकता था। उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह भी नीतिगत निर्णय लिया गया कि भविष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी आवासीय योजना में आवेदन पत्र आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अवाप्ति की कार्यवाही के	उपायुक्त जोन–11

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण

			पश्चात योजना की सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, तथा उसमें डिमार्केशन का कार्य पूर्ण हो गया है।	
15.	177.15	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की पालना हेतु जविप्रा जयपुर में लोक उपापन (Public Procurement) (वस्तु/सेवाओं के क्रये हेतु) अध्याय–2 नियम–3 के अन्तर्गत विभिन्न समितियों के गठन का जारी आदेश क्रमांक जविप्रा/उनि.(व्यय एवं बजट)/2013/डी–108 दिनांक 01.05.2013 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु।	विचार विमर्श पश्चात प्रस्ताव अनुसार लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अन्तर्गत बने पारदर्शिता नियम 2013 की पालना हेतु जविप्रा द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न समितियों के गठन का आदेश क्रमांक जविप्रा/उनि.(व्यय एवं बजट)/2013/ डी–108 दिनांक 01.05.2013 की कार्योत्तर पुष्टि एवं तदनुसार गठित समितियों को वस्तु/सेवाओं के क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित करने का, भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन किया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
16.	177.16	बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक तक मीडियन, फुटपाथ एवं पार्किंग का विकास कार्य।	अधिशाषी अभियन्ता जोन–2ए द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा में दिये गये प्रस्ताव के अनुसार मैसर्स निरानिया कन्सट्रक्शन कम्पनी को क्रमांक डी–75 दिनांक 04.05.2013 को राशि 417.75 लाख रू. के अनुसार जारी कार्यादेश पर विचार–विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अधिशाषी अभियन्ता (2–ए)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 177वीं बैठक दिनांक 14.05.2013 को सायं 4.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री कुलदीप रांका, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री कुलदीप रांका	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री विष्णु चरण मल्लिक	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्रीमती विनू निहलानी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री जे.बी. जाखड	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री जगरूप सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम जयपुर,	सदस्य
8	श्रीमती रिंकू बंसल	उप नगर नियोजक	रिको जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री दिनेश शर्मा	अधिक्षण अभियन्ता (शहर)	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री ए.एस. गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता-2 (टी.ए.टू, सीटी सर्किल)	सार्वजनिक निर्माण विभाग. जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री अरूण गर्ग	अति. जिला कलक्टर-3	कलक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
12	श्री गोपाल लाल	पुलिस निरीक्षक	पुलिस अधीक्षक, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
13	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियान्त्रिकी-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री अनिल अग्रवाल	अति. आयुक्त (प्रशासन)/पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री एस. मिश्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री राजकुमार शर्मा	अधिक्षण अभियन्ता-पीडीसी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री एम.एल. चौधरी	अधिक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री अवधेश माथुर	अधिशाषी अभियन्ता-पीडीसी-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्रीमति उषा जैन	सहायक निदेशक (प्रचार)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (ऐसे.एम)/2013/डी- 743 दिनांकः 22/5/13

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगरीय विकास)	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी/भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर